

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज० जयपुर
कमांक :- ई-18/एम/(सेवानिवृत्ति)/2017/ दिनांक :

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नामों के सम्मुख अंकित जन्म तिथियों के आधार पर 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख तिथियों से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क. स.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	से.नि. तिथि
1.	श्री रमेशचन्द अमर, सहा० कार्यालय अधीक्षक,	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अरांई, अजमेर।	01.06.1957	31.05.2017
2.	श्री नारायण लाल, लिपिक ग्रेड-प्रथम	सामु० स्वा० केन्द्र, खैरथल, अलवर।	20.07.1957	31.07.2017
3.	श्री मदन मोहन भट्ट लिपिक ग्रेड-प्रथम	अति० मुख्य चिकि. एवं स्वा० अधिकारी, (प.क.) बांसवाडा	01.01.1958	31.12.2017
4.	श्री केदार प्रसाद शर्मा, सहा. कार्या. अधीक्षक	मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, अलवर।	14.07.1957	31.07.2017
5.	श्री नाथू, लिपिक ग्रेड प्रथम	सामु. स्वा. केन्द्र, घाटोल, बांसवाडा	09.12.1957	31.12.2017
6.	श्री जयनारायण रैगर, सहा० कार्यालय अधीक्षक	मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, दौसा	01.01.1958	31.12.2017

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(रामनिवास जाट)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 10/4/17

कमांक :- ई-18/एम/(सेवानिवृत्ति.)/2017 780

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर/अलवर/बांसवाडा/दौसा।
3. अति० मुख्य चिकि. एवं स्वा० अधिकारी, (प.क.) बांसवाडा
4. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वा.(प.क.)बीकानेर।
5. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अरांई, अजमेर।
6. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी,सामु० स्वा० केन्द्र, खैरथल, अलवर/घाटोल, बांसवाडा।
7. सम्बन्धित कर्मचारी को सूचनार्थ।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

9. सर्वर रूम (Website)

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर